International Journal of Multidisciplinary Trends

E-ISSN: 2709-9369
P-ISSN: 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2022; 4(1): 09-14
Received: 07-11-2021
Accepted: 12-12-2021

डॉ. हाजरा मसूद
असिस्टेंट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
डॉ. हाजरा मसूद
असिस्टेंट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

'लैंगिकता' और 'जेंडर' के शाब्दिक प्रयोग एवं प्रभाव की संवेदनशीलता का विश्लेषण:

डॉ. हाजरा मसूद

सारांश
"जेंडर' को एक खास अर्थ दे दिया गया है। "पुरुष" और "महिला" दोनों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप में देखा जा रहा हैं। महिलाओं को उनके शरीर से कमजोर मानने के आम सोच से निपटने के लिए "जेंडर" की अवधारणा को लाया गया। प्रत्येक सदी में यह माना जाता रहा है कि महिलाओं व पुरुषों की चारित्रिक विशेषताएं, उनकी भूमिकाए, और समाज से मिलने वाला अलग दर्जा आदि उनकी जैविकीय (sex) द्वारा निर्धारित किया जाता है। लिंग की वजह से स्त्री व पुरुष में अंतर व ऊँच नीच का सहारा लिया जाता है। प्रकृति ने स्त्री व पुरुषों को बनाया गया है, और उनकी अपनी विशेषताएं हैं। लेकिन प्रत्येक समाज और संस्कृति में लड़के और लड़कियों की अहमियत निर्धारित करने उन्हें अलग भूमिकाएं देने, जवाबदारी देने के अपने तरीके समाज द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

कूट शब्द: 'जेंडर' और 'लैंगिकता' का शाब्दिक महत्त्व

प्रस्तावना
भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति वैदिक काल के समय सुदृढ़ थी।उस समय महिलाओं को "सभा" और "समिति" जैसी सामाजिक संस्थाओं में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था।इसके अतिरिक्त "अपाला" और "लोपामुद्रा" जैसी महिलाओं ने वेदों की रचना में भी योगदान दिया। समाज में लैंगिक संदर्भ में यदि हम देखें तो उस समय समानता, सहयोग, जागरूकता, निर्भरता जैसे गुण विद्यमान थे। जो उस समय की भारतीय समाज की गौरवमयी स्थिति को प्रकट करते हैं। प्राचीन काल के पश्चात मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति खराब बनी रही। समय के साथ-साथ भारतीय समाज में कई प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, जिससे अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं का भी जन्म हुआ, जिनमें प्रमुख रूप से छुआछूत, घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि प्रमुख हैं। इन सामाजिक समस्याओं के मूल में "लैंगिक असमानता' या "लैंगिक भेदभाव' छुपा है। अगर हम देखें तो "समानता' का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्त्तव्यों में प्रतिबंधित है। संविधान ना केवल महिलाओं को केवल समानता का दर्जा प्रदान करता है, अपितु महिलाओं से भेदभाव को रोकने के उपाय भी प्रदान करता है। लेकिन इसके बावजूद भी समाज मे सामाजिक असमानता, और लैंगिक भेदभाव आज भी बने हुए हैं।

जेंडर का अर्थ: समाजशास्त्र में लैंगिक असमानता शब्द का प्रयोग सबसे पहले "अन्न ओकेल' ने 1972 में अपनी पुस्तक "सेक्स जेंडर और सोसाइटी' में किया। लैंगिक असमानता से तात्पर्य है लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाना। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है। परिवार और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती रही हैं। यह असमानता हमें सामाजिक, आर्थिक,और राजनीतिक आदि क्षेत्रों में दिखाई देती है। महिलाओं की स्थिति पर विचार करने से पहले हमें "लिंग" और "जेंडर" के अंतर को समझना होगा।।

- "लिंग" (sex) लिंग एक शारीरिक विशेषता है। यह एक जैविकीय (Biological) विभिन्नता है जैसे प्राकृतिक रूप से लड़का और लड़की का होना।
- "जेंडर" (Gender) वर्तमान में "जेंडर' शब्द का इस्तेमाल सामाजिक अर्थ में किया जा रहा है। "जेंडर' को एक खास अर्थ दे दिया गया है। "पुरुष" और "महिला" दोनों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप में देखा जा रहा हैं। महिलाओं को उनके शरीर से कमजोर मानने के आम सोच से निपटने के लिए "जेंडर" की अवधारणा को लाया गया। प्रत्येक सदी में यह माना जाता रहा है कि महिलाओं व पुरुषों की चारित्रिक विशेषताएं, उनकी भूमिकाए,और समाज से मिलने वाला अलग दर्जा आदि उनकी जैविकीय (sex) द्वारा निर्धारित किया जाता है। लिंग की वजह से स्त्री व पुरुष में अंतर व ऊँच नीच का सहारा लिया जाता है। प्रकृति ने स्त्री व पुरुषों को बनाया गया है,और उनकी अपनी विशेषताएं हैं। लेकिन प्रत्येक समाज और संस्कृति में लड़के और लड़कियों की अहमियत निर्धारित करने उन्हें अलग भूमिकाएं देने, जवाबदारी देने के अपने तरीके समाज द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में हमारे सामने सोचनीय प्रश्न हो जाता है कि स्त्री होना क्या है? सिमोन लिखती हैं "स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है"। सामाजिक नियमों व क्रियाओं के अनुरूप सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक आधार पर मनुष्य- मनुष्य में भेद करना तथा एक स्त्री और दूसरे को पुरूष रूप में सामाजिक मान्यता देना जैसी सामाजिक प्रक्रिया के पीछे जो सामाजिक "कंडीशनिंग" काम करती है' और जिसका प्रभाव संकोची, कमजोर, शांत, और लज्जाशील व अन्य स्त्रियोचित गुणों में ढालना है। और यह प्रक्रिया प्राकृतिक नहीं मानवीय प्रक्रिया के तहत होती है। सामाजिक आधार पर "कंडीशनिंग" के कारणों को जानना और उसका विश्लेषण ही जेंडर है। जन्म से ही लड़के और लड़कियों को उनके अलग-अलग रूप में ढालने की जो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया शुरू होती है उसे ही "जेण्डरीकरण" कहा जाता है। नारीवादी विद्वान "ऐंन ओकाली" का कहना है कि जेंडर का संबंध संस्कृति से होता है, इसका संबंध उन सामाजिक श्रेणियों से होता है जिसमे महिलाएं और पुरुष "पुरुषोचित" और "स्त्रियोचित" रूप ले लेते है। जेंडर का रूप सामाजिक है तथा ये प्राकृतिक ना होकर समाज द्वारा बनाया गया हैं।

जेंडर असमानता: आज भी समाज में महिला और पुरुषों को समान रूप से नहीं देखा जाता तथा उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता है, यह समानता का रूप हर जगह देखने को मिलता है। परिवार, स्कूल, और समाज प्रत्येक जगह असमानता दिखाई देती है। जेंडर असमानता को स्वभाविक व प्राकृतिक माना जाता है। जेंडर असमानता का आधार केवल स्त्री या पुरुष होना ही नहीं है बल्कि समाज ने जो भूमिका तय कर दी है उसी के अनुरूप माना जाता है। राज्य के अनेक हिस्से ऐसे हैं जहां लड़के की चाह होती हैं, लड़कियों के होने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। परिवार ही वह जगह होती है जहां सबसे पहले जेंडर असमानता के उदाहरण देखने को मिलते हैं जब हम अपने परिवार में से ही अपने माता-पिता दादा-दादी के बटे हुए काम को देखते हैं। माँ किचन का काम करेंगी, सिलाई- कढ़ाई करेंगी तथा पिताजी घर से बाहर के अन्य कार्य करेंगे।ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। लिंग भेद की शुरूआत समाज में परिवार से ही होती है, क्योंकि अभिभावक अपने बालिकाओं की परवरिश इस तरह से करते हैं कि वह शर्मीली समर्पित हों, जबकि बालकों की परवरिश इस तरीके से करते हैं कि उनकी सोच अलग होती है, वह बालको को अधिक स्वतंत्रता देने के पक्ष में होते हैं। यह धारणा हमें बदलने की आवश्यकता है साथ ही विद्यालय की भी जिम्मेदारी है कि वह कक्षा में अंदर और बाहर

सामाजिक रीति रिवाजों को दूर करके सही वातावरण प्रदान करें। सामुदायिक स्तर पर भी स्त्री व पुरुषों में असमानता नजर आती है। भारतीय समाज में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कम जिम्मेदारी वाले काम दिए जाते हैं, क्योंकि समाज द्वारा उन्हें महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता। इस तरह की मानसिकता हमें खत्म करनी होगी और खत्म करने का सबसे सशक्त माध्यम परिवार और शिक्षा है। उसके लिए हमें विद्यालय की शिक्षा से शुरुआत करनी होगी और उसको उच्च शिक्षा तक सशक्त रूप से संचालित करना होगा।

जेंडर असमानता की चुनोतियाँ :-- राष्ट्रीय स्तर पर भारत मे अनेकों प्रयास किए जाने के पश्चात भी महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई है। ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जो बताते हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है? निर्भया हत्याकांड एवं प्रियंका रेड्डी इसके ऐसे बड़े उदाहरण है जिसने संपूर्ण मानव जाति को हिला कर रख दिया। जेंडर समानता के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि भारत में लिंग अनुपात बहुत कम है, उसमे सुधार की अपेक्षा गिरावट आ रही है। इसके अतिरिक्त महिलाओं की स्थिति गिरने का बड़ा कारण सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भेदभाव भी है।
समाज में महिलाओं के साथ हुई हिंसा और असमानता भी चुनौती बनी हुई है। इसके लिए महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा तथा पुरुषों की सोच को बदलना होगा जो नारी को उपभोग की वस्तु समझते हैं, क्योंकि किसी भी समाज का स्वरूप नारी की स्थिति पर निर्भर करता है, यदि समाज में नारी की स्थिति सम्मानजनक व सुदृढ़ है तो वहां का समाज भी सुदृढ़ होगा। हमें समाज में इस तरह का वातावरण बनाना होगा जहां केवल महिलाएं ही नहीं पुरुष भी अपने आप को सहज महसूस करें। बच्चों में यह सोच विकसित करनी होगी कि महिला और पुरुष समान है, तथा जिंदगी में दोनों की अहम भूमिका है। भारत मे महिला व पुरुषों की सोच में काफी फ़र्क आया है, लेकिन उसके पश्चात भी भारत में महिलाओं से संबंधित अनेक चुनौतियां व्याप्त हैं:-

- लिंगभेद की समस्या
- दहेज की समस्या
- नारी के प्रति हिंसा
- महिला कर्मचारियों को कम वेतन मिलना
- धार्मिक अंधविश्वास
- शिक्षा की समस्या
- स्वास्थ्य की समस्या

इस प्रकार भारत मे असमानता से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए अनेक राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किए गए।

जेंडर संवेदनशीलता के लिए किये गए राष्ट्रीय प्रयास:

1. 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि "लड़कियों की शिक्षा पर बल केवल सामाजिक न्याय के कारण नहीं बल्कि इसलिए देना होगा क्योंकि वह सामाजिक रूपांतरण को गति प्रदान करती है"। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बिंदु (4.2) में महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा की बात करते हुए कहा है कि "शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जाएगा। अतीत से चली आ रही विकृति और विषमताओं को खत्म करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का झुकाव महिलाओं के पक्ष में होगा। महिलाएं जो अब तक अबला समझी जाती रही हैं, समर्थ और सशक्त हो।" प्रोग्राम ऑफ एक्शन (1992) में महिलाओं के लिए जिन प्रयासों की बात की गई है उनमें कुछ इस प्रकार हैं-

- महिलाओं का सम्मान व आत्मविश्वास बढ़ाना।
- राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की सकारात्मक पहचान बनाना।
- निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना।
- आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए सूचना, ज्ञान और कौशल प्रदान करना।

2. राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति (2004)

- जेंडर संबंधी असमानता कई रूपों में दिखाई देती है जिनमें सबसे प्रमुख जनसंख्या में महिलाओं के अनुपात में गिरावट है।
- महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच हो यह सुनिश्चित किया जाए भेदभाव मिटाने, शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने, निरक्षरता को दूर करने, लिंग संबंधी शिक्षा पद्धति को बनाने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विशेष उपाय किए जाए।

3. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रू.परेखा 2005:0

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भी संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए लिंग असमानता जैसे मुद्दों को संबोधित करने पर विशेष बल दिया है।

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी 6 से 14 साल तक के हर बच्चे के लिए ऐसी अनिवार्य शिक्षा की मांग करता है जिसमें उसका ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक विकास भी हो।
- नेशनल फोकस ग्रुप के पोजिशन पेपर में "जेंडर इश्यूज इन एजुकेशन" के अनुसार बच्चों में विभिन्न क्षमताओं, खासतौर पर समालोचनात्मक चिंतन, विवेचनात्मक सोच, और निर्णय लेने की क्षमता आदि का विकास करने पर जोर दिया गया है, जिससे उनमें आत्म सम्मान और आत्म बोध की भावनाएं जागृत हो। ऐसा भी कहा गया है कि बालिकाओं का सशक्तिकरण एक उत्पाद ना होकर एक प्रक्रिया है, जिसमें ना अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर एक स्वतंत्र मानव के रूप में अपना जीवन जी सकें।

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (6.19) में कहा गया हैं कि "समता स्थापित करने के लिए विद्यालय की संस्कृति में बदलाव की ज़रूरत है।स्कूल शिक्षा प्रणाली में सभी प्रतिभागी, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रशासक सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, समावेशन, और समता की धारणाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इस तरह की शैक्षिक संस्कृति विद्यार्थियों को सशक्त बनने में सबसे अच्छा साधन होगी। और सभी एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (6.26) में कहा गया हैं कि विद्यार्थियों को स्कूली संस्कृति व पाठ्यक्रम में आए परिवर्तनों के माध्यम से संवेदशील बनाया जाए। स्कूली पाठ्यक्रमों में मानवीय मूल्यों को शामिल किया जाए जिससे सम्मान, सहानुभूति, सहिष्णुता, मानव अधिकार, लैंगिक समानता, अहिंसा, समावेशन, व समता को शामिल किया जाए।विभिन्न संस्कृतियों के धर्मो को शामिल किया जाए इससे विविधता के प्रति संवेदनशीलता विकसित होगी। स्कूल के पाठ्यक्रमों में से पूर्वाग्रहों व रुढ़िवादिता को हटाया जाना चाहिए।

इस प्रकार भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात जितने भी आयोग बने उनमें महिला समानता को लेकर बात की गई। आज के इस बदलते युग में जहां महिला और पुरुष में व्यवसायिक, सामाजिक और घरेलू जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में इन दोनों के प्रति समानता की दृष्टि रखना एक ज़िम्मेदार नागरिक के लिए बहुत जरूरी हो गया है। जेंडर असमानता वास्तव में इंसान के दिमाग में घर कर गई है। इस धारणा को तोड़ना है कि "पुरुष अग्रणी" और "महिला" घर संभालने वाली होगी। ऐसी सोच समाज द्वारा बनाई गई है प्रकृति ने ऐसा नहीं बनाया है, यह सोच बदलने के लिए शिक्षा ही सबसे अच्छा माध्यम है।

जेंडर संवेदनशीलता के लिए शिक्षा के माध्यम से किए जाने वाले प्रयास:

- **शिक्षक :---** शिक्षा में जेंडर समानता का अर्थ होगा रूढ़िगत विचारों से ऊपर उठकर बालक बालिकाओं को समान शैक्षिक व्यवस्था एवं अवसर उपलब्ध करवाना, जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धियों पर लिंग भेद के कारण प्रभाव ना हो सके। शिक्षा में जेंडर संवेदनशीलता लाना आवश्यक है, ताकि महिला व महिला शिक्षा के प्रति रूढ़िवादी विचारों को समाप्त कर एक समानता पर आधारित समाज की स्थापना हो सके, और यह कार्य शिक्षक द्वारा ही किया जा सकता है। शिक्षक परिवर्तन के प्रमुख नियामक होते हैं, वे विद्यालयों में बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। अधिकतर विद्यार्थी उनका अनुसरण करते हैं। शिक्षक को विद्यालयों में जेंडर संवेदनशीलता के लिए कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना होगा। विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करना होगा, जिससे वह समानता का वातावरण विद्यालय में स्थापित कर सकें। शिक्षक को यह निम्न चीजें अपनी कक्षाओं में अपनानी होगी तभी वह विद्यार्थियों में जेंडर संवेदनशीलता विकसित कर सकता है-
- शिक्षक को कक्षाओं में बालक व बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
- शिक्षक और छात्र दोनों जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों से दूर रहे।
- सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान ऐसी गतिविधियों का आयोजन करवाया जाए जिसमे बालक बालिकाओं को भाग लेने के समान अवसर प्राप्त हो।
- एक शिक्षक को बालक और बालिकाओं का सम्मान करने, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की आदत का विकास करना चाहिए।

- विद्यालयों में अध्यापकों को चाहिए कि बालक व बालिकाओं के महत्व को समझें तथा उनके सपनों की उड़ान में सौहार्दपूर्ण ढंग से शामिल हो साथ ही विद्यालय में होने वाले क्रियाकलापों में बालक और बालिकाओं को समान महत्व दें।
- विद्यालयों में न केवल बालिकाओं को ही संवेदनशील बनाया जाए बल्कि लड़कों को भी संवेदनशील बनाने पर जोर दिया जाए क्योंकि आज का समय वह नहीं रहा है जब शारीरिक रूप से शक्तिशाली व्यक्तियों का दबदबा होता था आज जमाना बुद्धिमता का है, और लड़कियां बौद्धिक कार्यों के क्षेत्र में किसी भी तरीके से लड़कों से कम नहीं है।
- अच्छा शिक्षक वही कहलाता है जिसके पास अनगिनत कहानियों का खजाना हो, जिसके पास सूचनाओं का भंडार हो और इन्हीं के माध्यम से वह बच्चों में बातों बातों में जेंडर के मुद्दों के प्रति समानता की सोच विकसित करें।
- वीरता और राष्ट्रीयता से सम्बन्धित लोककहानियां व लोक कथाएंछात्रों के सामने प्रस्तुत करें।
- एक शिक्षक को ऐसी घटनाएं विद्यार्थियों के समक्ष रखनी चाहिए जिसमें महिला स्वविवेक से हिम्मत का परिचय देती हुई बाल विवाह, दहेज प्रथा, और बारात लौटाने जैसे कदम उठाती है। ऐसे मुद्दों को समाचार पत्रों के माध्यम से कक्षा में चर्चा करवाई जानी चाहिए।
- शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में तथा कक्षा से बाहर प्रत्येक क्रियाकलाप में लड़के और लड़कियों दोनों को समान रूप से भागीदारी सुनिश्चित हो।
- विद्यालय में होने वाले प्रत्येक क्रियाकलाप प्रार्थना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद सभी में बालक और बालिकाओं दोनों की भागीदारी पूर्ण रूप से सुनिश्चित होनी चाहिए।
- सहशिक्षा विद्यालयों में यह देखा गया है कि लड़कों को एक तरफ से एवं लड़कियों को दूसरी तरफ बैठाया जाता है इसे बदलना शिक्षक का कार्य है।
- कई बार बालिका विद्यालय आना बंद कर देती हैं शिक्षक का दायित्व है कि वह पता करे कि किन कारणों से बालिका विद्यालय नहीं आ पा रही है, उस वस्तुस्थिति को जाने तथा अभिभावकों बालिकाओं को आगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जागरूक करें।
- दहेज प्रथा बाल विवाह जैसी कुरीतियों से बचने के लिए भी शिक्षक अभिभावकों को भी जागरूक करें।
- कक्षा में अध्यापक द्वारा जेंडर से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करवाई जानी चाहिए बालक बालिकाओं से उनके कार्यों की लिस्ट बनाई जाए और चर्चा की जाए उन्हें सोचने विचारने का मौका दिया जाए कि कामों का बंटवारा किसके द्वारा किया गया है।
- अध्यापक को स्वयं को भी संवेदनशील होना चाहिए और जेंडर संबंधी मुद्दों पर बिना किसी डर के अपनी राय देने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उस राय को सही या गलत ना बता कर सीखने की ओर प्रेरित करना चाहिए।

पाठ्य पुस्तकों द्वारा जेंडर संवेदनशीलता: वर्तमान में हमारे पाठ्य पुस्तकों में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार "समानता के लिए सर्वे में कहा गया है कि पाठ्य पुस्तकों का प्राथमिक उपकरण की तरह उपयोग करना चाहिए क्योंकि वह शिक्षा हेतु बहुत बड़ी संख्या में विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार "पाठ्यपुस्तक के लिखते समय किस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चों को कम उम्र से ही जेंडर संवेदनशील बनाना है तथा उन्हें जेंडर रूढ़िवादिता से दूर रखना है इसके पीछे महत्वपूर्ण भावना यह है कि विद्यार्थी यह महसूस ना कर सके कि महिलाएं पुरुषों से कम योग्य अथवा असमर्थ है इस सोच का कोई आधार नहीं है।" आज भी पाठ्य पुस्तकों में जेंडर रुढ़िवादिता को कम करने की आवश्यकता है।

पाठ्य पुस्तकों में निम्न बदलाव लाए लाए जाने चाहिए :-

- जहां अधिकतर पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं को घर का कार्य करते हुए या एक अच्छी ग्रहणी के रूप में दिखाया जाता है। वही उनकी उपलब्धियों को भी पाठ्य पुस्तकों में दिखाया जाना चाहिए।
- पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो विषय आधारित सामग्री ली जा रही है वह संवैधानिक मूल्यों, मौलिक अधिकारों, समानता, न्याय, पर आधारित हो जिससे विद्यार्थी बचपन से ही अपने मूल्यों को जान सके।
- पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय राज्य सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिए।
- पाठ्यपुस्तक लिखते समय ऐसी समिति भी गठित की जा सकती है जो इस बात का ध्यान रखें कि जेंडर समानता से संबंधित मुद्दे उसमें शामिल नहीं किए गए हैं।

- पाठ्य पुस्तकों में बच्चों में जेंडर के मुद्दों के प्रति समानता की सोच का विकास करने वाली विषय सामग्री को पुस्तकों में डाला जाना चाहिए जिससे स्वस्थ मानसिकता लेकर बालक का विकास होगा।
- पाठ्य पुस्तकों में जो भी विषय सामग्री उपलब्ध करवाई जाए वह गतिविधि आधारित हो जिससे विद्यार्थी अधिक रुचि के साथ विषय सामग्री को समझ सकेगा।

इस प्रकार विद्यालय पाठ्यक्रम में और पाठ्य पुस्तकों में मूल्य लैंगिक समानता लाकर यह संदेश देना होगा कि लड़के और लड़कियां इस समाज का सम्मिलित ताना-बाना है और दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आज प्रत्येक नागरिक को एक दूसरे के प्रति आक्रमकता और अपमान की बातें करने की बजाय निरंतर गतिमान समाज के लिए चिंतन, सम्मान और आदर की आवश्यकता है। एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते हम अपने देश की जिम्मेदारियों और कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए तथा महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में "सक्षम" नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें "जेंडर संवेदनशीलता" से संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए गए:---

- सभी शिक्षण संस्थाओं के परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।।
- कैंपस में जेंडर आधारित हिंसा के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति अपनाने की सिफारिश की गई।
- महिला शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने तथा लगातार मनोवैज्ञानिक सहयोग प्रदान करने को भी कहा गया।
- प्रत्येक संस्था में बेहतर टॉयलेट बिजली एवं हॉस्टल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।।
- जेंडर समानता के लिए विद्यार्थियों और शिक्षकों को जेंडर संवेदीकरण की प्रक्रिया से जोड़ा जाए। यह सुझाव सबसे अहम है क्योंकि जो काम कड़ी कानूनी व्यवस्था सुरक्षित वातावरण से नहीं हो सकता और मानसिकता बदलने के लिए महिला और पुरुष को समान रूप से संवेदनशील व जागरूक होना होगा। यद्यपि इस मानसिकता के खत्म होने में समय लगेगा लेकिन फिर भी असंभव नहीं है।

यह सभी कार्य तभी हो सकते हैं जब हम जागरूक होंगे, हमारा समाज जागरूक होगा क्योंकि हमारी जिम्मेदारी केवल पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, समाज में हो रहे हर तरह के शोषण उत्पीड़न को रोकने की भी है। और इस कार्य को पूरा करने के लिए शिक्षा ही एकमात्र ऐसी संस्था है, जो समाज की अन्य संस्थाओं में बदलाव लाने की ताकत रखती है। वह प्रत्येक संस्था में सतर्क, सुनियोजित और सक्रिय बदलाव लाने में समर्थ है। इसलिए शिक्षा परिवार से आरंभ होकर विद्यालय और सामाजीकरण की प्रक्रिया बन जाती है। शिक्षा व्यवस्था में उन मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए गंभीर चिंतन, और सुनियोजित कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे लैंगिक भेदभाव को दूर कर स्वस्थ समाज की नींव रखी जा सके। लिंग आधारित भेदभाव को मिटाना हमारे समाज के लिए एक चुनौती है और उस चुनौती का सामना शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाकर ही किया जा सकता है।

संदर्भ:

1. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा- 2005. एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. मिश्रा. सुधीर, अपर्णा. (2008). जेंडर विद्यालय एवं समाज, और आर.लाल. बुक डिपो,मेरठ।
4. सक्सेना. मालती, द्विवेदी. (2002). राखी प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, आगरा।
5. जौहरी दीप्ति. (2009). वुमेन एंड एजुकेशन, कल्पना पब्लिकेशन,नई दिल्ली।
6. राव. आर. के. (2002). वूमेन एंड एजुकेशन, कल्पना पब्लिकेशन,नई दिल्ली।
7. अग्रवाल. उमेश. (2001). भारत में महिला समानता और सशक्तिकरण के प्रयास. योजना पब्लिकेशन. नई दिल्ली।